रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 363] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 4, 2015/कार्तिक 13, 1937
No. 363] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 4, 2015/KARTIKA 13, 1937

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4, नवम्बर, 2015

फा.सं.एफ 1-61/एफएसएसएआई/संव्य.कारबार सीएसी/आरईजी/2015.- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (केन्द्रीय सलाहकार समिति के कारबार का संव्यवहार) विनियम, 2010 का और संशोधन करने के लिए विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार, के पूर्व अनुमोदन से, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 11 की उपधारा (5) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 92 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यथा अपेक्षित, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियम पर उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा ।

कोई आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य और ओषधि प्रशासन भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को भेजे जा सकेगें ।

ऐसे आक्षेपों और सुझावों पर, जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप विनियम के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त किए जाएं, खाद्य प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्रारूप विनियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (केन्द्रीय सलाहकार समिति के कारबार का संव्यवहार प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2015 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (केन्द्रीय सलाहकार समिति के कारबार का संव्यवहार) विनियम, 2010 में, व्ययों की प्रतिपूर्ति से संबंधित विनियम 14 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"14. व्ययों की प्रतिपूर्ति: (1) केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों को प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने के लिए प्रत्येक दिन या उसके भाग के लिए चार हजार रुपये की बैठक फीस का संदाय किया जाएगा परंतु राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त या कोई अन्य सदस्य जो सरकार की सक्रिय सेवा में है या कोई परा राज्यिक अपने अपने नियोजक से अपने यात्रा भत्ते और महंगाई भत्ते का दावा करने के हकदार होंगे ।

(2) अन्य सदस्य वार्षिक यात्रा भत्ता और निर्वाह भत्ता के लिए भी हकदार होंगे । 'बैठक फीस' प्रत्येक दो वर्ष में प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त रूप से पुनरीक्षित की जाएगी ।

[विज्ञापन 314/असा./187-0/15(247)]

आशीष बहुगुणा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

टिप्पण - मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 में अधिसूचना सं. 1-61/एफएसएसए/2009-डीएफक्यूसी, तारीख 4 मार्च, 2011 में प्रकाशित किए गए और 1-61/एफएसएसए/2009-डीएफक्यूसी, तारीख 12 मार्च, 2015 द्वारा संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2015

F. No. F.1-61/FSSAI/Tr.Business CAC/Reg/2015. The draft of the following regulations, further to amend the Food Safety and Standards Authority of India (Transaction of Business of the Central Advisory Committee) Regulations, 2010, which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make with the previous approval of the Central Government, in exercise of the powers conferred under sub-section, (1) and clause (b) of sub-section (2) of Section 92 read with sub-section (5) of Section 11 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), is hereby published as required by sub-section (1) of section 92 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of a period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, Food and Drug Administration Bhawan, Kotla Road, New Delhi- 110 002;

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of the period specified above, shall be considered by the Food Authority.

Draft regulations

1. **Short title and commencement**. – (1) These regulations may be called The Food Safety and Standards Authority of India (Transaction of Business of the Central Advisory Committee) Amendment Regulations, 2015.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards Authority of India (Transaction of Business of the Central Advisory Committee) Regulations, 2010, for the regulation 14, relating to reimbursement of expenses, the following shall be substituted, namely:-

   “14. Reimbursement of expenses:.- (1) The Members of the Central Advisory Committee shall be paid a sitting fee of four thousand rupees for each day or part thereof for attending each meeting, Provided the commissioner of Food Safety of the States or Union territories or any other member who is in active service of the Government or a parastatal shall be entitled to claim their Travel Allowance and Dearness Allowance from their respective employer,

   (2) The other member shall be entitled to reimbursement of actual travel and subsistence expenses. The ‘sitting fee’ may be suitably revised by the Authority every two years”.

ASHISH BAHUGUNA, Chief Executive Officer

[ADVT. 3/4/Exty./187-0/15(247)]

Note. - The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4 *vide* notification number F. No. 1-61/FSSA/2009-DFQC, dated 4-3-2011 and subsequently amended *vide* F. No. 1-61/FSSA/2009-DFQC, dated the 12th March, 2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.